पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 41/2026

अनवान :

1. श्रवण कुमार पुत्र हरदत जाति जाट निवासी रामबास तहसील भादरा हनुमानगढ़।

:— **वादी**

बनाम

1. दौलतसिंह पुत्र हरदत जाति जाट निवासी रामबास तहसील भादरा।
2. घोघा पत्नी हरदत जाति जाट निवासी रामबास तहसील भादरा।
3. निर्मलादेवी पुत्री हरदत जाति जाट निवासी रामबास तहसील भादरा।
4. सुमन पुत्री हरदत जाति जाट निवासी रामबास तहसील भादरा।
5. गंगादेवी पुत्री हरदत जाति जाट निवासी रामबास तहसील भादरा।
6. मायादेवी पुत्री हरदत जाति जाट निवासी रामबास तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
8. एसबीआई शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक एस बी आई शाखा छानीबड़ी।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रामबास के खाता संख्या 97/83 के खसरा संख्या 109, 129, 346, 348, 361 कुल खसरा 6 की 28.564 है0 बारानी वादभूमि में वादी के पिता हरदत के नाम 1101/7141 हिस्सा तथा रोही मौजा रामबास के खाता संख्या 145/82 के खसरा संख्या 241 की 3.580 है0 बारानी खातेदारी में वादी के पिता हरदत के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में वादी के पिता हरदत का नाम कलमजन किया जाकर वादी श्रवण कुमार, प्रतिवादी संख्या 1 दौलतसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 घोघा को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(हस्ताक्षर)

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़